राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 62/21 दायर दिनांक 02.09.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

1. केशर कंवर पत्नि अमान सिंह
2. नरपत सिंह पुत्र अमान सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र अमान सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र अमान सिंह
5. भंवर कंवर पुत्री अमान सिंह
6. विनोद कंवर पुत्री अमान सिंह
7. संतोष कंवर पुत्री अमान सिंह

सर्वजाति राजपूत, सर्वनिवासीगण ग्राम गुढ़ा तह0 नावां जिला नागौर

......वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 वास्ते खातेदारी उद्घोषणा एवं धारा 136 रा0भू–रा0अधि0 1956 राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत्।

निर्णय **दिनांक 28.02.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम झाग पटवार हल्का झाग भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 207 के ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण के नाम हिस्सा दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता का नाम अभागसिंह दर्ज है जिसमें वादीगण के पति/पिता का नाम सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश अभागसिंह का इन्द्राज हो गया है जबकि वादीगण के पति/पिता का नाम सही एवं वास्तविक नाम अमानसिंह पुत्र बालसिंह है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का सहवन से लिपिकीय त्रुटि से गलत नाम अभागसिंह के स्थान पर वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम अमानसिंह का इन्द्राज करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। जिसको दुरूस्त करवा कर घोषणात्मक डिकी प्राप्त करवा कर वादीगण के पति/पिता का सही नाम अभागसिंह के स्थान पर अमानसिंह का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर इन्द्राज करवाना चाहते है। वादी[illegible] आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादीगण के पति/पिता का नाम अमानसिंह [illegible] है। वादीगण के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश अभागसिंह अंकित होने से वादीगण के पति/पिता के नाम में भिन्नता के कारण एक ही व्यक्ति के भिन्न, अलग-अलग नाम अभागसिंह व अमानसिंह हो गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादीगण की कृषि भूमि में वादीगण के पति/पिता का नाम अभागसिंह गलत नाम अंकित हो जाने से किसान कार्ड बनवाने, कृषि भूमि के विकास, सुधार , मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादग्रस्त कृषि आराजी में अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकले लेकर बैंक गये तो बैंक के अधिकारियों ने वादीगण की जमीन की जमाबन्दी व वादीगण के पहचान के दस्तावेजों को देखकर वादीगण को कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारे पति/पिता का नाम अभागसिंह है तथा तुम्हारे पहचान दस्तावेज आधार कार्ड आदि में नाम अमानसिंह है। इस कारण बैंक लोन देने में असक्षम है। इस कारण वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाव पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम झाग की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2072–75 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 207 में ख0न0 181 रकवा 8.4945 है0 भूमि केशर कंवर पत्नि अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा, नरपत सिंह पुत्र अभागसिंह हि0 2/105, सा0 गुढा, मनोहर सिंह पुत्र अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा, राजेन्द्र सिंह पुत्र अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा, भंवर कंवर पुत्री अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा, विनोद कंवर पुत्री अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा व संतोष कंवर पुत्री अभागसिंह हि0 2/105 जाति राजपूत सा0 गुढा खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के पति/पिता का नाम अभागसिंह पुत्र वाल सिंह के स्थान पर अमानसिंह पुत्र बाल सिंह दर्ज किया जाता है तो प्रकरण में किसी का राजहित प्रभावित नहीं होता है। वकील वादी की ओर से वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिस पर वादी संख्या 4 के बयान लिये गये। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, वादीगण के पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत खारडिया तहसील नावां जिला नागौर का प्रमाण पत्र के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम झाग के ख0न0 181 रकबा 8.4945 है0 भूमि में वादीगण के दर्ज नाम केशर कंवर पत्नि अभागसिंह, नरपत सिंह पुत्र अभागसिंह, मनोहर सिंह पुत्र अभागसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र अभागसिंह, भंवर कंवर पुत्री अभागसिंह, विनोद कंवर पुत्री अभागसिंह, संतोष कंवर पुत्री अभागसिंह के स्थान पर क्रमशः केशर कंवर पत्नि अमानसिंह, नरपत सिंह पुत्र अभागसिंह ,मनोहर सिंह पुत्र अमानसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र अमानसिंह, भंवर कंवर पुत्री अमानसिंह, विनोद कंवर पुत्री अमानसिंह, संतोष कंवर पुत्री अमानसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ,अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)